



Neutral Citation No. - 2026:AHC:4288

इलाहाबाद उच्च न्यायालय आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 44817 वर्ष 2025 सोनू
.....आवेदक बनाम उत्तर प्रदेश राज्यविपक्षी पक्ष

आवेदक के अधिवक्ता : रोनक चतुर्वेदी विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता : शा.अधि., रोहित शुक्ला, सुनील कुमार मिश्रा

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. वाद-सूची की पुनः पुकार कराई गई।
2. श्री रोनक चतुर्वेदी, विद्वान अधिवक्ता, आवेदक की ओर से, श्री रोहित शुक्ला, विद्वान अधिवक्ता, सूचक की ओर से, तथा श्री दीपक कुमार सिंह, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता, राज्य की ओर से की सुनवाई की गई एवं अभिलेख पर प्रस्तुत सामग्री का परिशीलन किया गया।
3. आवेदक, मुकदमा अपराध संख्या 506 वर्ष 2025, धाराएँ 191(2), 191(3), 103(1), 3(5) बी.एन.एस., थाना छाता, जिला मथुरा, के अंतर्गत विचारण के लंबित होने की अवधि में जमानत चाहता है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक को कोई विशेष भूमिका नहीं सौंपी गई है, बल्कि उसे मृतक व्यक्ति को पकड़ने की भूमिका सौंपी गई है, जिसमें सह-अभियुक्त मृदुल द्वारा दिनांक 02.10.2025 को रात्रि लगभग 9 30 बजे सूचक अजीत के पुत्र को गोली की चोट पहुँचाई गई बताई गई है।
5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह भी तर्क दिया कि प्राथमिकी स्वयं लगभग 9 घंटे विलम्ब से दर्ज की गई है तथा उक्त विलम्ब का कोई स्पष्टीकरण नहीं है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक दिनांक 05.10.2025 से जेल में निरुद्ध है तथा वह विचारण में सहयोग करने को तत्पर है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।
6. विद्वान सूचक के अधिवक्ता और विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत आवेदन का इस आधार पर कड़ा विरोध किया कि घटना तीन भागों में हुई थी और आवेदक सभी भागों में उपस्थित था तथा वह सह-अभियुक्त व्यक्तियों का सहयोगी था, अतः वह जमानत का अधिकारी नहीं है। आवेदक के इशारे पर एक देशी पिस्तौल की बरामदगी भी हुई है।
7. प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा किये गये निवेदन, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य तथा यह ध्यान में रखते हुए कि आवेदक को केवल मृतक व्यक्ति को पकड़ने की भूमिका सौंपी गई है, और प्रकरण के गुण-दोष पर कोई मत व्यक्त किये बिना, न्यायालय प्रथम दृष्ट्या यह विचार रखता है कि आवेदक ने जमानत के लिए प्रकरण बनाया है। जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।
8. आवेदक - सोनू, जो उपर्युक्त अपराध मामले में संलिप्त है, को सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार व्यक्तिगत मुचलका तथा प्रत्येक समान राशि की दो जमानतें प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाये। इसके अतिरिक्त, रिहाई आदेश जारी करने से पूर्व जमानतदारों का सत्यापन किया जाये। (i) आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्य से छेड़छाड़ नहीं करेगा। (ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के साक्षियों को दबाव में नहीं लायेगा/उन्हें

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



भयभीत नहीं करेगा। (iii) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष नियत तिथि पर उपस्थित होगा।

9. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, यह जमानत निरस्तीकरण का आधार होगा।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत प्रदान करने में की गई टिप्पणियाँ किसी भी प्रकार से विद्वान विचारण न्यायाधीश को साक्षियों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में प्रभावित नहीं करेंगी।

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल) जनवरी 8, 2026 (रवि कांत)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"